फर्द अहकाम

प्रभुदयाल बनाम सरकार

नाम न्यायालय [illegible]

केस संख्या 04/2017

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	31/01/25	पत्रावली देखा गया। अधिवक्तागण उभयपक्ष उपस्थित। हमने प्रतिवादी-2 अधिवक्ता की बहस के तथ्यों का मनन किया व पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेजात का गहनतापूर्वक अवलोकन किया। वादी के अभिकथनों व पत्रावली में प्रस्तुत/उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेजात के समग्र विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि वादी अधीन भूमि आ.ख.नं. 954 रकबा 0.39 है. हाल रिकॉर्ड में प्रतिवादी 2 व अन्य के नाम दर्ज अंकित है जो कि स्वयं वादी का स्वीकृत कथन है। वादी के कथनानुसार "उक्त भूमि के खातेदार खसरा नं. में वादी का हिस्सा दर्ज अंकित/लिखित रहा है तथा उक्त भूमि वादी लगभग 50 वर्षों से कहीतिपत खातेदार काश्त करता आ रहा है तथा भू प्रबन्ध कर्मचारियों द्वारा अवैधानिक रूप से प्रतिवादी-2 व अन्य के नाम दर्ज कर दी गई है। जिससे वादी स्वयं को उक्त भूमि के हाल खसरा नं. का स्वयं को खातेदार घोषित कराने तथा प्रतिवादी 2 का नाम निरस्त कराते हुए स्वयं का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने का अधिकारी है।" वादी अपने अभिकथनों के प्रमाणीकरण हेतु स्वयं [illegible] वादी की ओर से [illegible] की साक्ष्य दस्तावेज न्यायालय [illegible] प्रस्तुत [illegible] प्रतिवादी [illegible] रिकॉर्ड में कभी वादी [illegible] प्रतिवादी 2 के नाम अधिकृत रूप से दर्ज [illegible] वादी की ओर से भाग खसरा गोदावरी एक्ट 2045-2048 के आधार पर स्वयं की अधिकारिता सिद्ध करने का प्रयास किया गया है जो कि नालो 50 वर्षों से काबिज काश्त वादी के निरन्तर कथन को प्रमाणित करता है, नाही [illegible] P.T.O.

फर्द अहकाम

प्रभुदयाल बनाम सरकार

न न्यायालय [illegible]

न संख्या 04/2017

संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	31/01/25	कब्जा काश्त के आधार भाग पर खातेदारिता दिए जाने हेतु उनकी अधिकारिता न्यायालय राजस्व की प्राप्त है वादी की ओर से राजस्व व भूतपूर्व अधिनियम के प्रभाव से उक्त भूमि की स्थिति के संदर्भ आने पर उक्त भूमि की स्थिति के संदर्भ में भी कोई मान्य साक्ष्य दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है अतः प्रस्तुत दस्तावेजात व आधार पर वादी के कथन साबित नहीं होने से वाद वादी खारिज किया जाता है। (विस्तृत निर्णय पृथक से लेखबद्ध है) निर्णय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम है। वाद लघुकाल अधिक समय का है।	